कार्यालय प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,कानपुर

पत्रांक 4250 / 14-1 दिनांक, कानपुर, 23/5/ 2022

सेवा में,

महाप्रबन्धक
साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0
लिवाना साइबर हाइट, प्रथम तल ऑफिस नं0 117–बी
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

विषय– 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित हो रही 0.8155 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 1.1391 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 1.9546 हे0 वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– प्रस्ताव संख्या FP/UP/TRANS/21539/2016 के सम्बन्ध में आपका पत्र दिनांक 15.02.2021।

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रस्ताव वर्ष 2016 में इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया था। उक्त प्रस्ताव में आवश्यक कार्यवाही कर तत्समय प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया गया था, जिसमें कतिपय आपत्तियॉ प्रेषित की गयी थी। प्रेषित आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु आपको कई स्मारक पत्र निर्गत किये गये, जिसके कम में आप द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पारेषण लाइन निर्माण कार्य शासन स्तर पर परियोजना की समय सीमा वृद्धि हेतु रुका है।

वर्तमान में आप द्वारा संशोधित प्रस्ताव की पॉच प्रतियॉ इस कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के कम में सूचित करना है कि प्रस्ताव में 05 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है तथा वर्तमान में कई शर्तो/प्रमाण पत्रों व विभिन्न देय धनराशियों की दरों में परिवर्तन/संशोधन हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रस्ताव का अवलोकन किया गया जिसमें निम्न कमियॉ पायी गयी–

1. प्रस्तावित वन भूमि का डिजिटल जीओं रिफरेंस मैप की प्रति।
2. प्रस्तावित वन भूमि परियोजना क्षेत्रफल की गणना शीट (Area Calculation) ।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र।
4. राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य द्वारा लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों का पालन किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र।
5. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन न करने का प्रमाण पत्र।
6. लीज अवधि सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
7. मक डिस्पोजल योजना सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
8. कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र।
9. प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) के भुगतान सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
10. उ0प्र0 शासन वन अनुभाग–3 की पत्र सं0 7314/14–3–980/82 दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित मानक शर्ते मान्य होने का प्रमाण पत्र।
11. Entire Tree Transplant (ETT) शर्त हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र।
12. उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1560/81–2–2021–800(94)/2017 के कम में कम वृक्षों का पातन किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र।
13. प्रभावित वृक्षों की सूची।
14. परियोजना से लाभान्वित ग्रामों की सूची।
15. परियोजना स्थल के फोटोग्राफ।
16. सम्बन्धित विभागों से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
17. प्रस्तावित वन भूमि का के0एम0एल0 फाईल।

D/genral/letter/May-2022

P.T.O.

Scanned with CamScanner

18 वैकल्पिक / न्यूनतम भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

19 परियोजना से सम्बन्धित साइट जस्टिफिकेशन रिपोर्ट।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरवर्णित कमियों का निराकरण कर वाँछित अभिलेख / वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर संशोधित प्रस्ताव 05 प्रतियों में यथाशीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण इस स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। प्रस्ताव की पाँच प्रतियाँ मूल में वापस की जा रहीं है।

संलग्नक– यथोपरि

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

Scanned with CamScanner